


बहादुर बनाम कमला देवी वगै०
मु०नं० 525 / 2013
दावा अ०धा० 88,188

दिनांक - 12.11.2020 वकील वादीगण उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 524 रकबा 2.23 है० वाके ग्राम कुलोठ कलां को तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ./2016/2223 दिनांक 25.07.2019 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड (अभिलेखारी), सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

